न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 198/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. संतोष पत्नि लाला		1. रमेश जलवानिया पुत्र बाबूलाल
2. अशोक पुत्र लाला		जाति–भाम्बी, निवासी–देलवाड़ा
3. प्रवीण पुत्र लाला		तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर
4. पुजा पुत्री लाला		2. तहसीलदार, जैतारण
5. तेजराज पुत्र लाला		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
जातियान धोबी		
निवासीगण कुड़की तहसील		
जैतारण (पाली)		

वादीगण सं. 2,3,4 नाबालिग जरिये
कुदरती वलिया माता संतोष

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.27/10/2017**

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा कुडकी पटवार हल्का कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा आई हुई हैं जिसमे वादीगण का 2/3 वां हक हिस्सा आता है तथा इसी हक हिस्से माफिक वादीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा भूमि मे एक सामलाती कुआ खुदा हुआ है जिसका उपयोग उपभोग वादीगण के दादा कुना के समय से ही वादीगण के पिता लाला एवं उनके फौत होने पर उनके वारिसान करते चले आ रह है तथा उक्त कुआ वादीगण की हक हिस्से की आराजी मे ही स्थित है प्रतिवादी संख्या एक ने मदनलाल पुत्र कुन्नालाल से हक हिस्सा खरीद किया था तथा पूर्व मे आपस मे हुए मौखिक बंटवाडे पर एवं मौके पर काबिज काश्त के अनुसार कुआ वादीगण के पिता के हक हिस्से मे ही आता था जिस पर आज भी काबिज काश्त है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग पूर्व मे की जा चुकी है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त व हक अधिकार निहित है जिसमे उक्त कुआ वादीगण के कब्जे काश्त का है तथा उक्त कुऐ के सम्पूर्ण हक अधिकार वादीगण मे ही है लेकिन अभी तक इस विवादित आराजी भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हो रखा है उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड मे समस्त दर्ज होने से प्रतिवादीगण संख्या एक आए दिन उक्त स्थित कुऐ को लेकर मांठ आदि बिखेर देता है तथा कुऐ को अपनी कब्जे मे लेने की कोशिश करता रहता है जिसको लेकर आए दिन विवाद होते है तथा अपने हक से ज्यादा भूमि पर बतौर अतिकमी के कब्जा कर लेना चाहता है जबकि वादीगण अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की कुए सहित भूमि के चारो तरफ बाड पेमाईस पत्थरगड्डी आदि करवाना चाहते है तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा भी चाहते है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक को

Scanned by CamScanner

इस विवादित आराजी एवं अपने कुए सहित हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने के लिए कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा नही मानने व दिनांक 16-10-17 को सहमति से बंटवाडा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने पर वाद विवाद करने पर वादीगण के पास यह वादपत्र बाबत बंटवाडा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती है जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा वादीगण गरीब असहाय महिला एवं नाबालिग बच्चे है जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक बदमाश एवं शराबी प्रवृति का व्यक्ति है जो किसी न किसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वादीगण के कब्जे काश्त मे जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा करता है तथा कुऐ के उपयोग उपभोग को लेकर आए दिन विवाद करवाता रहता है तथा अनेक प्रकार की दखलन्दाजी तथा परेशाानिया पैदा करता है तथा दिनांक 17-10-17 को वादीगण संतोष तथा तेजराज ने अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का सार संभाल करने गए उस समय प्रतिवादीगण संख्या एक के द्वारा भेजे गए एजेन्ट वादीगण व उसके पुत्रो के साथ धक्का मुक्की तथा गाली गलौच किया तथा अभद्र व्यवहार किया अनुसूचित जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा वादीगण के कुऐ को रातो रात खुद कुए करने का एवं प्रतिवादीगण संख्या एक की आराजी के साथ कुए को बेचान आदि करने का ऐलानिया कथन किया तथा जबरदस्ती कुऐ को अपनी ताकत के बल पर हडपने का कथन किया जिस पर वादीगण ने गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने का प्रयास भी करवाया फिर भी वह नही माना एवं मौके पर विवाद करने को आमादा है तब ऐसी विषम परिस्थितियों मे यदि प्रतिवादीगण संख्या एक तथा उनके एजेन्ट दलाल आदि जबरदस्ती ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल कर देते है तथा वादीगण के हक हिस्से मे आए सामलाती कुऐ को हड़प लेता है तथा वादीगण के हक हिस्से की खातेदारी भूमि एवचं स्थित कुए के उपयोग उपभोग करने से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे जिससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध अवैंधानिक कृत्यों का विरोध करेगे जिससे मौके पर विवाद बढेगा व मल्टीप्लसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी विषय परिस्थितियो में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या दो तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु नोटिस देने मे लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अनुमति लेकर श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का अलग से पेश है। बिनाय दावा दिनांक 17-10-17 को प्रतिवादीगण द्वारा भेजे गए एजेंट/दलाल द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने से स्पष्ट इन्कार करने एवं उक्त संपति का कुए संहित बेचान आदि करने का एलानिया कथन करने पर बमुकाम कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। बहस वकील वादीगण की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा कुडकी पटवार हल्का कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा आई हुई हैं जिसमे वादीगण का 2/3 वां हक हिस्सा आता है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/207 दिनांक 19/02/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/2727 दिनांक 16/05/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि राजस्व मौजा कुडकी पटवार हल्का कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा आई हुई हैं जिसमे वादीगण का 2/3 वां हक हिस्सा आता है जिसका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	संतोष पत्नि लालाराम, संतोष पत्नि लालाराम, तेजाराम, अशोक, प्रवीण पिता लाला संतोष पत्नि लाला अशोक प्रवीण पूजा नाबालिग की कु. वलिया माता संतोष पिता कुना कौम धोबी सा.देह खातेदार संतोष पत्नि लाला का हिस्सा रहन पी.सी.सी.बी शाखा आ. कालू	380	10-11-00	बा0अ0	5.30
2	रमेश जलवानिया पुत्र बाबुलाल जलवानिया कौम भांबी निवासी देलवाड़ा तहसील ब्यावर खातेदार	380/1	5-06-00	बा0अ0	2.63

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आसरलाई में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner